कार्यालय श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ रायपुर
आवक 1253
दिनांक 17 SEP 2015
शाखा

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 02/08/201

क्रमांक एफ 10–14/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना" होगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकारों को आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रन हेतु रूपये 700/– (सात सौ रूपये मात्र) प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा।

(iii) सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदाय किया जावेगा।

(iv) यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत सफाई कर्मकार को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।

(ii) राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हितग्राही को इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(iii) 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजनातंर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

(ii) आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(द) भुगतान की प्रक्रिया

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पा हितग्राहियों को चेक अथवा उनके बैंक खाते में आरटीजीएस द्वा भुगतान किया जावेगा।

(ई) विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्ण अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 10–14/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 02/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव, छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
6. कलेक्टर, जिला...(छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी........................ (छ0ग0)
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग